

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़प्रभुलाल

बनाम

सरकार**कार्यवाही अन्तर्गत :-****धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973**

किस्म मुकदमा

विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)

नं०

020

सन्

2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.06.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। हस्तगत प्रकरण के मूल प्रकरण संख्या 002/2024 (गौ-वंश) अनवानी सरकार बनाम राजेन्द्रसिंह वगैराह में न्यायालय आदेश से प्रार्थी प्रभुलाल पिता रामलाल जाति कुम्हार निवासी श्री महावीर ट्रांसपोर्ट नगर, भीलवाडा जिला भीलवाडा द्वारा जुर्माना राशि रूपये 2,50,000/- अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये मात्र के संदाय किये जाने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 06 GA 6416 को रूपये 10,00,000/- अक्षरे दस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर विहित शर्तों पर सिपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये गये है, अतः प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेशानुसार जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान/रसीद व अपेक्षित जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश किये जाने पर पत्रावली पुनः पेश हो, अन्यथा मूल प्रकरण संख्या 002/2024(गौ-वंश) अनवानी सरकार बनाम राजेन्द्रसिंह वगैराह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6'क' राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 निर्णय दिनांक 12.06.2024 के साथ हम किता रहे। तदनुसार प्रार्थना-पत्र निर्णित इन्द्रजा किया जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(आलोक रंजन)

जिला कलक्टर,

चित्तौड़गढ़

12.06.2024